an>

Title: Issue regarding doing business activities on tourist visa by some foreigners.

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) : माननीय सभापति, आज का मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। मेरा संसदीय क्षेत्र अमरेली के राजुला तहसील में पीपावाव डिफेंस एंड ओफशोर इंजीनियरिंग, पीपापाव शिपयार्ड लिमिटेड में कार्यरत है। इस कंपनी में सितंबर 2012 में टूरिस्ट वीजा के आधार पर बिजनेस करने के उद्देश्य से कुछ चीनी लोगों का आगमन हुआ। इस कंपनी के सहयोग से आठ दिन तक समुद्र तटीय किनारों पर सम्पूर्ण विवरण, फोटोग्राफी और वीडियो शूटिंग हुई। मुझे समझ में नहीं आता है कि इस कंपनी में चीनी लोग किस प्रकार का बिजनेस करने आए थे। टूरिस्ट वीजा पर बिजनेस करना संदेहास्पद लगता है और यह अवैध भी है। जब यह प्रकरण स्थानीय पुलिस और वहां के लोगों का पता चला तो स्थानीय पुलिस ने 16 लोगों में से दो को गिरफ्तार किया और फोरेन एक्ट 1947 के कॉलम 14 और पेटा कॉलम बी और सी के तहत एफआईआर दर्ज की गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 14 लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई, नियमानुसार पासपोर्ट जब्त क्यों नहीं किया गया?यह प्रकरण संदेहास्पद है। स्थानीय पुलिस, कंपनी के कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच ऐसा क्या समझौता हुआ कि दो चीनी लोगों को छोड़ दिया।